राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 20 / 2024

उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम लेहरी देवी अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 20 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 203

अपीलाण्ट्स :— बनाम रेस्पोडेण्ट्स :—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली राज.

लेहरी देवी पत्नी गोरखनाथ के कायम मुकाम वारिसानः—

1. गोरखनाथ (पति)
2. अर्जुननाथ पुत्र गोरखनाथ
3. श्रवणनाथ पुत्र गोरखनाथ
4. दिनानाथ पुत्र गोरखनाथ
5. सीता पुत्री गोरखनाथ (माता लेहरी देवी) पत्नी मांगीलाल जाति जोगी निवासी दौलपुरा तह. सुमेरपुर
6. भंवरी पुत्री गोरखनाथ (माता लेहरी देवी) सावरनाथ जोगी निवासी मोरिया बिठ्ठु तह. रोहट
7. पिंकु पुत्री गोरखनाथ (माता लेहरी देवी) पत्नी नाथु निवासी गिरवर तह. पाली राज.

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत मौजा ढोला जागीर के खसरा नम्बर 746 / 1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त कर बहक राजस्थान सरकार दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया।

उपस्थिति :—

1. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत।

<u>—:निर्णयः—</u>

दिनांकः 30.04.2026

प्रार्थी तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत मौजा ढोला जागीर के खसरा नम्बर 746 / 1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त कर बहक राजस्थान सरकार दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया।** प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 20 / 2024
उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम लेहरी देवी अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 14.02.2013 में लेहरी देवी पत्नी गोरखनाथ जाति जोगी निवासी ढोला को ग्राम ढोला जागीर के खसरा नम्बर 746 / 1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1165 द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी / आवंटी का आवंटित भूमि पर आदिनांक तक कब्जा / काश्त नहीं है एवं आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है। यह भी कि पटवारी हल्का ढोला की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान का कब्जा / काश्त नहीं होने से आवंटन नियम की धारा 14 (4) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर निवेदन है कि आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं किया जाने से मौजा ढोला जागीर के खसरा नम्बर 746 / 1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि बहक राजस्थान सरकार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। तामील कुनिन्दा से अप्रार्थी लेहरी देवी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ज़रिए पत्रांक / राजस्व / 2021 / 725 दिनांक 03.06.2021 द्वारा कायम मुकाम की सूची प्रस्तुत की गई। अतः लेहरी देवी के कायम मुकाम को पक्षकार संयोजित कर ज़रिए सम्मन तलब किया गया। लेहरी देवी के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत ने वकालतनामा पेश किया।

आज पत्रावली बहस में नियत है। वक्त बहस सरकारी पैराकार ने निवेदन किया कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर आज दिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः राज्य सरकार के खाते में दर्ज की जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर समय समय पर खेती का प्रयास किया गया, किन्तु आवंटित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा कब्जा प्रशासन द्वारा कभी सुपूर्द नहीं किया गया तथा भूमि पर पूर्व से अन्य व्यक्तियों का कब्जा था, साथ ही आर्थिक स्थिति कमजोर होने, सिंचाई सुविधा के अभाव तथा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण निरंतर खेती करना उसके लिये असंभव था। अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि भूमि का आवंटन आजीविका हेतु किया गया था तथा उसे आवंटन से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा, साथ ही यदि किसी शर्त को पूर्ण पालन नहीं हुआ है तो सुधार का अवसर प्रदान किया जाए।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्क पर मनन किया गया।

मौजा ढोला जागीर की कृषि आराजी खसरा संख्या 746 / 1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर श्री लेहरी देवी के पक्ष में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानान्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.02.2013 को आवंटित की गई। प्रार्थना पत्र के सलंग्न गिरदावरी संवत् 2072 से 75 तथा तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक / 1509 दिनांक 21.09.2021 से यह ज़ाहिर होता है कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। इसके अतिरिक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का वास्तविक कब्जा स्थापित नहीं हुआ तथा भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा विद्यमान है। यह भी प्रमाणित नहीं है कि आवंटन उपरान्त अप्रार्थी को विधिवत भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 20/2024

उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम लेहरी देवी अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत

ऐसी परिस्थिति में आवंटन के शर्तों के उल्लंघन का पूर्ण दायित्व अप्रार्थी पर नहीं डाला जा सकता। तथापि वर्तमान स्थिति में आवंटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका है तथा भूमि का उपयोग आवंटन की मूल भावना के अनुरुप नहीं हो रहा है। राजस्व अभिलेखों की शुद्धता एवं विधिक स्थिति स्पष्ट रखने हेतु आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता है।

अतः समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के विचारोपरांत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 की धारा 14 (4) के के तहत प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी लेहरी देवी पत्नी गोरखनाथ जाति जोगी के पक्ष में मौजा ढोला जागीर के खसरा नम्बर 746/1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। साथ ही, तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिए जाते है कि ज़ैर अपील भूमि का कब्जा प्राप्त कर राजस्व अभिलेख में मिल्कियत सरकार के पक्ष में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

साथ ही, चूंकि उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है, अतः तहसीलदार सुमेरपुर उन कब्जाधारियों के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार बेदखली/अतिक्रमण की पृथक कार्यवाही अमल में लावें तथा भूमि को राज्य सरकार के खातें में मुक्त कब्जें सहित दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली